

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,  
राजस्थान जयपुर


क्रमांक:-F21/NRHM/JSY/07/ 625 - 721

दिनांक:- 15.3.07

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
समस्त प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
समस्त जिला शिशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारी

विषय:- जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत प्रसूताओं को भुगतान बाबत।

राज्य में जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार के निर्देशानुसार सम्पूर्ण राज्य में प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही है। उक्त योजना में नियमानुसार प्रसूता को शहरी क्षेत्र में 1000/- रु. व ग्रामीण क्षेत्र में 1400/- रु. देय है। इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि इसका लाभ ई.एस.आई. अस्पताल, आयुर्वेद अस्पताल, रेल्वे अस्पताल, सभी राजकीय अस्पताल एवं राजकीय डिस्पेन्सरीज में प्रसव करवाने पर सभी प्रसूताओं को दिया जाना सुनिश्चित करें।


  
निदेशक (आर.सी.एच.)

क्रमांक:-F21/NRHM/JSY/07/ 722 - 730

दिनांक:- 15.3.07

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव प0क0 एवं मिशन निदेशक- एन.आर.एच.एम.
3. निदेशक जनस्वास्थ्य
4. निदेशक ई.एस.आई. अस्पताल
5. निदेशक आयुर्वेदिक अस्पताल, अजमेर
6. महाप्रबन्धक उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर
7. डी.आर.एम. रेल्वे जयपुर/अजमेर/कोटा/को भेजकर अनुरोध है कि इस योजना को कृपया प्रचार प्रसार करे ताकि वांछित प्रसूता को लाभ मिल सके।

  
निदेशक (आर.सी.एच.)